भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 276

20 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसान आन्दोलन के संकल्प

276. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
कुंवर दानिश अली:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:
श्री राजीव रंजन सिंह ललन:
श्री गौरव गोगोई:
श्री अब्दुल खालेक:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न किसान संगठन कई महीनों से अपना धरना जारी रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसान संगठनों के साथ विभिन्न दौर की बातचीत शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम रहे और तीन कृषि कानूनों के पारित होने से पहले आपस में कितने परामर्श हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा किसानों के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंदोलन के दौरान कई आंदोलनकारी किसान मारे गए हैं या बीमार हुए हैं और यदि हां, तो विरोध के दौरान आज की तिथि तक कुल कितने किसान मारे गए/बीमार हुए हैं; और

(च) क्या सरकार का आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) एवं (ख) जी हां। कुछ किसान संगठन नव अधिनियमित कृषि अधिनियमों नामतः "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020", "कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020'' और "आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020" के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

आंदोलनकारी किसान संगठनों की मांगें थीं:-

i. सभी तीन नए कृषि अधिनियमों अर्थात: "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020", "कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020'' और "आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020" को निरस्त करना।
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 के तहत पुआल जलाने पर किसानों को दंड प्रावधान से बाहर रखना;
iii. प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को वापस लेना; और
iv. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम् इस पी) पर खरीद से सम्बंधित मुद्दा ।

(ग) एवं (घ) जी हां। सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए आंदोलनकारी किसान यूनियनों के साथ सक्रिय रूप से और लगातार प्रयास किए और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार तथा आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई। बैठकों का विवरण **अनुबंध-I** पर है। सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।

सरकार ने किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 09 दिसंबर, 2020 के पत्र द्वारा किसान यूनियनों को संबोधित करते हुए बिंदुवार समझाया कि भारत सरकार के प्रस्ताव में किसानों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का कैसे ध्यान रखा जा रहा है। सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक छोटा समूह बनाने का भी प्रस्ताव रखा है, जो समयबद्ध तरीके से कृषि कानूनों पर खंड-वार विचार कर सके और किसानों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार करे, जिस पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहमति नहीं दी।

तथापि, किसान संगठन कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए, सिवाय उनके निरस्त करने की मांग के।

सरकार किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और इस मुद्दे को हल करने के लिए आंदोलनकारी किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार रहेगी।

अध्यादेशों का मसौदा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग आदि को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। 21 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया, जिसमें 13 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने किसानों को विकल्प प्रदान करने के लिए। कृषि उपज में बाधा मुक्त अंतर-राज्य और अंतर-राज्य व्यापार की सुविधा के लिए नए कानूनी ढांचे पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भाग लिया। भारत सरकार ने उपरोक्त तीन अध्यादेशों पर हितधारकों के साथ वेबिनार, ऑनलाइन सम्मेलनों, कार्यशालाओं, टेलीकांफ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और उसके बाद संबंधित अधिनियमों पर विस्तार गतिविधियों की श्रृंखला पर सक्रिय रूप से प्रयास किए हैं।

(ड.) एवं (च) भारत सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ चर्चा के दौरान उनसे अपील की कि बच्चों और बुजुर्गों विशेषकर महिलाओं को ठंड और कोविड स्थिति को देखते हुए घर जाने की अनुमति दी जाए। मुआवजे के सम्बन्ध में, जी नहीं, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए।

अनुबंध-I

क्र.सं.	आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ बातचीत का दौर	बैठक की तिथि
1	प्रथम दौर	14.10.2020
2	द्वितय दौर	13.11.2020
3	तृतीय दौर	01.12.2020
4	चौथा दौर	03.12.2020
5	पांचवा दौर	05.12.2020
6	छठा दौर	30.12.2020
7	सातवा दौर	04.01.2021
8	आठवा दौर	08.01.2021
9	नौवा दौर	15.01.2021
10	दसवा दौर	20.01.2021
11	ग्यारहवां दौर	22.01.2021

*****